भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000 Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

बिहार BIHAR

क्रम संख्या .... तिथि .... मुल्य .... शीट संख्या ।

AT 177676

क्रेता का नाम एवं पता ....

मनेन्द्र प्रसाद
ल० नं०-46/89
पटना समाहरणालय

पटना कोषागार
6 JUN 2023
पटना

जैव संसाधनों तक पहुँच एवं लाभ सहभाजन (Access & Benefit Sharing) हेतु व्यवसायी एवं बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के मध्य अनुबंध पत्र

श्री अजय कुमार, श्री राम ट्रेडिंग, पता – शेरमारी बजार, पीरपैंती, भागलपुर– 813209, जिन्हें अग्रेतर "आवेदक" संबोधित किया गया है

.............प्रथम पक्ष

एवं

सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्, पाँचवाँ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर, पटना–800023, जिन्हें एतद् पश्चात् ''पर्षद्'' संबोधित किया गया है

.... द्वितीय पक्ष

Ajay Kumar

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

यह कि आवेदक एक व्यापारकर्त्ता है, जिसके द्वारा बिहार राज्य के भागलपुर जिला के अन्तर्गत पाये जाने वाले विभिन्न जैविक संपदाओं/जड़ी-बुटियों इत्यादि का क्रय-विक्रय किया जाता है।

यह कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् जैव विविधता अधिनियम, 2002, (संशोधित अधिनियम, 2023) की धारा-22 के अन्तर्गत गठित एक वैधानिक एवं स्वायतशासी निकाय है जिसे अधिनियम के अन्तर्गत जैव संसाधनों के संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग को विनियमित करने के अतिरिक्त जैव विविधता प्रबधंन समितियों तथा समुदायों के हित में उपयोगकर्ताओं से जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन का हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। प्रश्नगत् अनुबंध जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा-7 सपठित धारा-24 के अनुपालन व अनुक्रम में जैव संसाधनों से प्राप्त लाभ के उचित एवं साम्यपूर्ण प्रभाजन हेतु अधिनियम की धारा- 18(1)21, जैव विविधता नियम, 2004 के नियम-14, 20 और बिहार राज्य जैव विविधता नियमावली, 2017 के नियम-19 तथा अन्य सुसंगत नियमों एवं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण/भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशिका/विनियम में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जा रहा है।

यह कि आवेदक द्वारा फार्म/प्रारूप-1 में उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार उनके द्वारा दिनांक 21.09.23 से 20.09.2024. की अवधि में राज्य के भागलपुर जिले के कहलगाँव प्रखण्ड के अन्तर्गत एकचारी पंचायत एवं पिरपैंती प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रसबन्ना पंचायत, राजगाँव अराजी, बारा, सलेमपुर, मोहनपुर मधुबन एवं बाबूपुर पंचायत से व्यापार/क्रय-विक्रय के लिये संलग्न पौधों की सूची संग्रहण किया जाना है।

यह कि आवेदक द्वारा फार्म/प्रारूप-1 में समस्त जैव संसाधन संबंधित रैयतों से संग्रहण किये जाने की सूचना दी गयी है। आवेदन

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

में वर्णित संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों से जैविक संसाधनों/जड़ी–बुटियों के संग्रहण से संबंधित सहमति मांगी गई थी जिसके आलोक में भागलपुर जिला के कहलगाँव प्रखण्ड के अन्तर्गत एकचारी पंचायत एवं पिरपैंती प्रखण्ड के अन्तर्गत प्रसबन्ना पंचायत, राजगाँव अराजी, बारा, सलेमपुर, मोहनपुर मधुबन एवं बाबूपुर पंचायतों के जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा सहमति पर्षद् को प्राप्त है।

यह कि आवेदक इस अनुबंध पत्र के साथ संलग्न अनुलग्नक–1 में वर्णित जैव संसाधन तथा उसके सापेक्ष उल्लेखित मात्रा के अनुरूप वाणिज्यिक उपयोग के लिये जैव संसाधन पर्षद्, स्थानीय वन प्रमंडलीय कार्यालयों एवं संबंधित प्रबंधन समितियों के नियंत्रण एवं निगरानी में प्राप्त करने हेतु इच्छुक है।

यह कि तद्नुसार दोनों पक्ष निम्नलिखित शर्तों के अधीन जैव संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभ के उचित व साम्यपूर्ण प्रभाजन हेतु अनुबंध करते है :–

1. यह कि उक्त अनुबंध दिनांक 21.09.23 से 20.09.2024 की अवधि के लिये ही मान्य है।

2. यह कि आवेदक द्वारा चाही गई जैव संसाधन का संग्रहण पर्षद् द्वारा अनुमान्य एवं अनुलग्नक–1 में उल्लेखित जैव संसाधन तथा उसके सापेक्ष निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं किया जायेगा।

3. यह कि आवेदक द्वारा जैव संसाधन का अपरिपक्व दोहन नहीं किया जायेगा।

4. यह कि आवेदक जैव संसाधन के मूल स्रोत को क्षति पहुँचाये बिना विनाशविहीन विदोहन तथा संग्रहण सुनिश्चित करेगा एवं इस हेतु संग्रहकर्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण भी देगा।

Ajaykumar

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

5. यह कि जैव संसाधन के विदोहन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवेदक द्वारा जैव संसाधन के संग्रहण हेतु अधिकृत व्यक्तियों के नाम, पता, हस्ताक्षर एवं फोटो परिचय–पत्र की सूचना पर्षद् एवं स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति को अनिवार्य रूप से देगा।

6. यह कि जैव संसाधन के विदोहन का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवदेक स्थानीय जैव विविधता प्रबंधन समिति को लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसकी प्रतिलिपि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् के साथ संबंधित स्थानीय वन प्रमण्डल पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा।

7. यह कि बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद् द्वारा समय–समय पर कार्यो का अनुश्रवण व मूल्यांकन करेगा/कराया जा सकेगा।

8. यह कि आवेदक द्वारा किये जा रहे जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित लाभ के प्रभाजन हेतु आवेदक द्वारा जैविक संसाधन तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 के विनियम–03 में निर्धारित दर के विकल्प से सहमत होने के फलस्वरूप आवेदक तदनुसार धनराशि का भुगतान पर्षद् को करेगा, जिसका निर्धारण नियमानुसार क्रय मूल्य से आगणित किया जायेगा।

9. यह कि क्रय मूल्य से संबंधित वैध दस्तावेज पर्षद् को यथासमय उपलब्ध कराना होगा ताकि लाभांशों का साम्यपूर्ण बंटवारा हेतु गणना की जा सके। यह ध्यान रखा जाये कि किसी भी जैव संपदा का क्रय मूल्य बाजार मूल्य से काफी भिन्न न हो और यदि जैविक संपदा का सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) निर्धारित हो तो क्रय मूल्य उससे कम ना हो। यदि पर्षद् को सूचना/संज्ञान में आता है कि आपके द्वारा क्रय मूल्य कम कर दिखाया गया है, तो पर्षद् यथोचित कार्रवाई कर सकेगा।

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

10. "जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बटाना विनियम, 2014 के विनियम–03 के आधार पर जैविक संपदा के व्यापार के संदर्भ में लाभांश प्रभाजन की निर्धारित दर क्रय मूल्य का तीन प्रतिशत (3%) भुगतेय होगा। आवेदक द्वारा जैव संपदा के क्रय से 30 दिनों के भीतर लाभांश की राशि पर्षद् कार्यालय में "सदस्य सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जायेगा।

11. यह कि जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित कारोबार में आवेदक को हानि होने की दशा में पर्षद् का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त परिस्थिति में भी आवदेक द्वारा लाभांश धनराशि का भुगतान नियमानुसार पर्षद् को किया जायेगा।

12. यह कि पर्षद् को अधिप्राप्त कोई शिकायत अथवा स्वप्रेरणा से पहुँच/अभिगम्यता हेतु अनुदत्त अनुमोदन को पर्षद् निम्नलिखित आधार पर प्रतिसंहारित/निरस्त कर सकेगा–

(i) युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि आवेदक द्वारा अधिनियम के किन्ही उपबधों या शर्त, जिसके अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया है।

(ii) आवेदक करार/अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

(iii) आवेदक जैव संसाधनों तक अनुदत्त पहुँच/अभिगम्यता की शर्तो मे से किसी का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

(iv) पर्यावरण/जैव विविधता संरक्षण तथा लोकहित/जनहित संबंधी अध्यारोही प्रभाव (Overriding Public Interest) के विषय संबंधी परिस्थितियों में।

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

13. यह कि आवेदक को दी गयी पूर्व स्वीकृति निम्नवत् आधार पर भी पर्षद् द्वारा निरस्त किया जा सकता है –

(i) यदि स्वीकृति पश्चात् यह ज्ञात हो कि कोई विशिष्ट जैव संसाधन स्थानिक/दुर्लभ, संकटग्रस्त/संकटापन्न (Endemic/ Rare/ Endangered/ Threatened) श्रेणी में वर्गीकृत/पुर्नवर्गीकृत है/किया गया है।

(ii) यदि स्वीकृति पश्चात् यह ज्ञात हो कि कोई कतिपय जैव संसाधन किसी अन्य अधिनियम/नियम में प्रतिबन्धित है।

(iii) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से स्थानीय नागरिकों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

(iv) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से प्रतिकूल पर्यावरण प्रभाव की संभावना हो तथा जिसका बाद में नियंत्रण कठिन हो।

(v) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से आनुवंशिक क्षरण अथवा पारिस्थितिकी पर प्रतिकूल प्रभाव संभावित हो।

(vi) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन राष्ट्रीय हित अथवा राष्ट्र द्वारा किये गये अन्तर्राष्ट्रीय करार के प्रावधानों के प्रतिकूल हो।

(vii) यदि कतिपय जैव संसाधन तक पहुँच एवं वाणिज्यिक विदोहन से कतिपय जैव संसाधन का पोषणीय उपयोग कुप्रभावित हो रहा है।

14. यह कि आवेदक द्वारा जैव विविधता अधिनियम 2002, (संशोधित अधिनियम, 2023) जैव विविधता नियम 2004, बिहार राज्य

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद, पटना

जैव विविधता नियमावली, 2017 एवं जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 में निहित किसी प्रावधान का उल्लंघन करने पर पर्षद् द्वारा आवेदक को दी गई पूर्व अनुमति को निरस्त किया जा सकेगा।

15. यह कि आवेदक द्वारा जिन भौगोलिक स्थलों से जैविक संपदा का संग्रहण/प्राप्ति किया जा रहा है, उक्त स्थलों का GPS Coordinates भी पर्षद् कार्यालय को अन्य प्रतिवेदन के साथ यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

16. यह कि आवेदक द्वारा संग्रहित/प्राप्त जैव संपदा के भंडारण स्थल का GPS Coordinates भी पर्षद् कार्यालय को जैव संपदा की प्राप्ति/संग्रहित तिथि से 30 दिनों के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

17. यह कि आवेदक आवेदित जैव संपदा के आलोक में पर्षद् द्वारा स्वीकृत मात्रा/जैव संपदा के अतिरिक्त अन्य किसी जैव संपदा का वाणिज्यिक उपयोग करते हैं जो जैव विविधता अधिनियम, 2002 के दायरे में आता हो, तो पर्षद् द्वारा आवदेक पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

18. यह कि आवेदक जैव संसाधन की अधिप्राप्ति किसी भी स्रोत से नियमानुसार प्राप्त करने सम्बन्धीकृत कार्यों/क्रियाकलापों हेतु स्वयं जिम्मेदार होगा तथा इस संबंध में पर्षद् का कोई दायित्व नहीं होगा।

19. यह कि अनुबंध पत्र में किसी भी प्रकार का संशोधन दोनों पक्षों की सहमति से किया जा सकेगा।

20. यह कि उक्त अनुबंध जैव संसाधन के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त लाभ के प्रभाजन मात्र का विषय से संबंधित है तथा इसका उपयोग किसी अन्य विषय संबंधी कार्य हेतु मान्य नहीं होगा।

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना

21. यह कि पर्षद् की सहमति के पश्चात् उत्पन्न किसी विवाद की स्थिति में प्रकरण पर्षद् के अध्यक्ष को संदर्भित किया जायेगा, जिसका निर्णय अन्तिम तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा।

22. यह कि जैविक संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से प्राप्त लाभ के प्रभाजन हेतु किया गया यह अनुबंध जैव संसाधन तक पहुँच हेतु अनुमोदन समझा जायेगा।

उपरोक्त सहमति के आधार पर आज दिनांक 21.09.23 को स्वप्रेरणा से अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित किया गया।

प्रथम पक्ष के ओर से :–
हस्ताक्षर :– Ajaykumar
नाम :– AJAY KUMAR
पूर्ण पता :– SHERMARI BAZAR, PIRPAINTI
दूरभाष संख्या :– 7759903485

द्वितीय पक्ष के ओर से :–
हस्ताक्षर :–
पदनाम :– सचिव (सुनील कुमार सिन्हा) उप निदेशक, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना
पूर्ण पता :– बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।
पाँचवाँ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर,
पटना–800023.
दूरभाष संख्या :– 0612.2952412

गवाह
हस्ताक्षर :– विजय कुमार चौधरी
नाम :– विजय कुमार चौधरी
पूर्ण पता :– शेरमारी बाजार पीरपैंती
दूरभाष संख्या :– 9953862793

गवाह
हस्ताक्षर :– [signature]
पदनाम :– [illegible]
पूर्ण पता :– बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद, पटना।
पाँचवाँ तल, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड परिसर, शास्त्री नगर,
पटना–800023.
दूरभाष संख्या :– 0612.2952412

अनुलग्नक–1

1. उपयोग किये जाने वाले जैव संपदा का सामान्य नाम

Biological Resources:

क्र०	पंचायत का नाम	वैज्ञानिक नाम	साधारण नाम	प्रतिवर्ष कटाई की जाने वाली मात्रा (Kg)	कीमत प्रति Kg.
A.	EKCHARI PANCHAYAT				
		1) *Anagalis arvensis*	Sankh puspi	3000	Rs.12
B.	SALEMPUR				
		1) *Swetenia mahogany*	Kutaj	500	Rs.8
		2) *Desmodium gangeticum*	Salparni	2000	Rs.12
		3) *Uraria picta*	Pristparni	2000	Rs.12
C.	PARSBANNA				
		1) *Stereospermum Suaveolens*	Padal Chal	1000	Rs.12
		2) *Swetenia mahogany*	Kutaj	1000	Rs.8
D.	RAJGAONARAJI				
		1) *Aegle marmelos*	Bael	1000	Rs.8
		2) *Andrographis paniculate*	Kal megh	1000	Rs.12
E.	BARA				
		1) *Premna integrifolia*	Agnimoth	1000	Rs.10
F.	MAHESRAM				
		1) *Abutilon indicum*	Atibala	1000	Rs.10
		2) *Erythrina variegate*	Farhad	1000	Rs.8
		3) *Datura innoxia*	Dhatura	500	Rs.8
		4) *Andrographis paniculate*	Kal megh	1000	Rs.12
		5) *Trema orientale*	Nirgundy	1000	Rs.12

Biological Resources Normally Traded as Commodities*:

क्र०	पंचायत का नाम	वैज्ञानिक नाम	साधारण नाम	प्रतिवर्ष कटाई की जाने वाली मात्रा (Kg)
A.	EKCHARI PANCHAYAT			
		1) *Eclipta prostrata*	Bhringraj	15,000
		2) *Leucas aspera*	Drone puspi	1000
		3) *Phyllanthus amarus*	Bhumi amla	1000
B.	SALEMPUR			
		1) *Achyranthes aspera*	Apamarg	1000
		2) *Acacia nilotica*	Babool	5000
C.	PARSBANNA			
		1) *Moringa oleifera*	Sahjan/Moringa	1000
		2) *Vigna radiata*	Moong plant	500

Afuhmay

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता

		3) *Syzygium cuminii*	Jamun	3000
D.	RAJGAONARAJI			
		1) *Ziziphus mauritiana*	Bair	5000
		2) *Chrysopogon zizanioides*	Khus	500
		3) *Acacia nilotica*	Babool	5000
E.	BARA			
		1) *Boerhaavia diffusa*	Punarnava	500
		2) *Tinospora cordifolia*	Giloy	5000
		3) *Piper longum*	Chavya	1000
		4) *Sida cordifolia*	Khareti	4000
		5) *Alpinia calcarata*	Rasna	1000
		6) *Ziziphus mauritiana*	Bair	1000
F.	MAHESRAM			
		1) *Justicia adhatoda*	Basak	500
		2) *Cassia fistula*	Amaltash	500
		3) *Azadirachta indica*	Neem	1000

**The said biological resources are Normally Traded as Commodities subject to the terms enumerated in The Gazette of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change Notification, New Delhi, dated 7th April,2016.*

2. वैज्ञानिक नाम – उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

3. व्यापार हेतु जैव संपदा अथवा भाग का विवरण – अंश एवं पूर्ण भाग।

4. पहुँच का विशिष्ट उद्देश्य – वाणिज्यिक उपयोग

5. जैविक संपदा के पहुँच एवं उठाव हेतु मात्रा- उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।

6. स्थलों की विवरणी – जिला–भागलपुर, प्रखंड- पिरपैंती

21.09.2023

उप–निदेशक

बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद

21/09/2023

Bihar State Biodiversity Board

(An autonomous statutory body of the Government constituted under Biological Diversity Act, 2002)

Letter No.- 870 - 318 Date: - 20.09.2023

To,

Shri Sanjay Kumar,
Shermari Bazar,
Pirpainti, Bhagalpur.
Contact: 9955862393

Sub.: Approval for access of bioresource for commercial utilization under Section-3 read with Section-19(1) of the Biological Diversity Act, 2002, (Amendment Act, 2023) and Rule 14 of Biological Diversity Rules, 2004-Reg.

Ref.: Your Application in Form-1 and Form-A received by Bihar State Biodiversity Board.

Sir,

With reference to your application cited in the Reference on the subject cited above to facilitate for "Access of bioresource for commercial utilization" has been considered by the Bihar State Biodiversity Board subject to the conditions laid down in the Agreement enclosed.

In this regard, I am enclosing herewith one mutually signed stamp paper agreement executed between Bihar State Biodiversity Board and the applicant, valid for one year from the date of Agreement, for the applicant's reference and compliance. It is also to inform you that breach of the terms of Agreement and provisions of the Biological Diversity Act, 2002, (Amendment Act, 2023), Biological Diversity Rules, 2004 and Bihar State Biological Diversity Rules, 2017 made thereunder will invite imposition of penalties as per Section 55, 56 & 57 of the Biological Diversity Act, 2002(Amendment Act, 2023).

Please acknowledge the receipt of this communication.

Yours faithfully,

Encl- As Above.

(Dr. K. Ganesh Kumar)
Secretary,
Bihar State Biodiversity Board, Patna.

एक प्रति प्राप्त
21-09-2023

10\. "जैविक संसाधनों तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बटाना विनियम, 2014 के विनियम–03 के आधार पर जैविक संपदा के व्यापार के संदर्भ में लाभांश प्रभाजन की निर्धारित दर क्रय मूल्य का तीन प्रतिशत (3%) भुगतेय होगा। आवेदक द्वारा जैव संपदा के क्रय से 30 दिनों के भीतर लाभांश की राशि पर्षद् कार्यालय में "सदस्य सचिव, बिहार राज्य जैव विविधता पर्षद्" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जायेगा।

11\. यह कि जैव संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग से संबंधित कारोबार में आवेदक को हानि होने की दशा में पर्षद् का कोई दायित्व नहीं होगा तथा उक्त परिस्थिति में भी आवदेक द्वारा लाभांश धनराशि का भुगतान नियमानुसार पर्षद् को किया जायेगा।

12\. यह कि पर्षद् को अधिप्राप्त कोई शिकायत अथवा स्वप्रेरणा से पहुँच/अभिगम्यता हेतु अनुदत्त अनुमोदन को पर्षद् निम्नलिखित आधार पर प्रतिसंहारित/निरस्त कर सकेगा–

(i) युक्तियुक्त विश्वास के आधार पर कि आवेदक द्वारा अधिनियम के किन्ही उपबधों या शर्त, जिसके अधीन अनुमोदन अनुदत्त किया गया था, का उल्लंघन किया है।

(ii) आवेदक करार/अनुबंध के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

(iii) आवेदक जैव संसाधनों तक अनुदत्त पहुँच/अभिगम्यता की शर्तो मे से किसी का अनुपालन करने में असफल रहा हो।

(iv) पर्यावरण/जैव विविधता संरक्षण तथा लोकहित/जनहित संबंधी अध्यारोही प्रभाव (Overriding Public Interest) के विषय संबंधी परिस्थितियों में।

(सुनील कुमार सिन्हा)
उप निदेशक,
बिहार राज्य जैव विविधता
पर्षद्, पटना